वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवार्ता,तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 24.09.2025

पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण सील

- सारनाथ यूनेस्को की टीम आने पर विकास प्राधिकरण को याद आया अवैध निर्माण
- कई निर्माणों की फोटोग्राफी कराने के साथ कर्मचारियों से मांगी सूचना, होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पुरातात्विक अवशेष को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने को लेकर यूनेस्को की टीम तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को सारनाथ पहुंचेगी तो वाराणसी विकास प्राधिकरण को सारनाथ में हो रहे अवैध निर्माण की याद आई। विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा मंगलवार को बैठक कर दोपहर बाद पूरी टीम के साथ सारनाथ पहुंचे तो अवैध निर्माण देख हैरान हो गए। कई निर्माण पुरातात्विक अवशेष के संरक्षित में मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए खड़े होकर सील करवाया। मौके पर सुपरवाइजर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर जवाब-तलब किया।

पुरातात्विक अवशेषों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने को लेकर यूनेस्को की टीम 24 से 27 सितंबर तक सारनाथ में भ्रमण करने के साथ कई बिंदुओं को चर्चा करेगी। उसमें प्रमुख बिंदु है पुरातात्विक अवशेषों के पास अवैध निर्माण और संरक्षित करने में आ रही परेशानी। वीडीए सचिव पहले चौखंडी

सारनाथ के गंज गांव में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण होने पर सील करवाते वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा (बाएं से दूसरे) • वीडीए

स्तूप के पास पहुंचे, वहां अधीनस्थों संग चर्चा कर देखा कि बस स्टैंड से सटे एक निर्माण हो रहा था। मौके पर कोई कागजात नहीं दिखाने पर उसे सील करवा दिया।उस कालोनी में और अवैध निर्माण मिलने पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट देने को कहा। कई निर्माण की फोटोग्राफी कराने के साथ कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। जोन दो के जोनल अधिकारी ने बताया कि सारनाथ वार्ड के गंज गांव में पुष्पा सिंह स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रहीं थी उसे सील कर दिया गया। संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। टीम में अवर अभियंता विजय कुमार, वर्तिका दुबे, बीएल दुबे आदि शामिल थे।

हिन्दुस्तान–दि0 24.09.2025

वीडीए सचिव के निर्देश पर सील किया गया भवन

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को सारनाथ का निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 210 वर्गमीटर पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत (बी+जी+2) तलों का निर्माण किया जा रहा है। सचिव के निर्देश पर भवन सील कर दिया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता वर्तिका दुबे आदि थीं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनवार्ता–दि0 24.09.2025

मानचित्र के विपरीत बन रहे निर्माण को किया सील

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-2, वार्ड-सारनाथ में मंगलवार को निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान पुष्पा सिंह, मौजा-गंज, वार्ड-सारनाथ के 210 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बी+जी+2 तलों का निर्माण कार्य पाया गया। जहाँ संबंधित अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सूचना धाराओं के तहत भवन को तत्काल सील कर दिया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने लोगों से विशेष अपील की है कि वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। चेतावनी दी गई कि उल्लंघन की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता वर्तिका दुबे, प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइजर, पुलिस बल शामिल रहे।

आईजीआरएस में खराब रैंकिंग पर नाराजगी

वीडीए सचिव ने पांच जोन के कार्यों की समीक्षा बैठक

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण के पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें आईजीआरएस, आरटीआई और सीएमएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिव ने आईजीआरएस में खराब रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं शिकायतकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनें और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इस समीक्षा बैठक में आरटीआई प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण से पहले संबंधित प्रावधानों का गहन अध्ययन कर केवल विधि अनुसार उपलब्ध कराई जा सकने वाली सूचनाओं को साझा किया जाए। समापन के दौरान सचिव ने समस्त अधिकारियों से कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीरता बनाए रखें।

वीडीए के पांच जोन के कार्यों की समीक्षा करते सचिव डा. वेद प्रकाश।

वीडीए: साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3 (दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक, कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर, नगवां) एवं जोन-5 (रामनगर, मुगलसराय) के 1 से 20 सितम्बर तक की साप्ताहिक कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। जिसमें जोन-3 ने 8, जोन-4 ने 2 एवं जोन-5 ने 1 शमन मानचित्र स्वीकृत किए, कुल 11 मानचित्र स्वीकृत हुए। शमन शुल्क के रूप में कुल ₹51,60,257 प्राधिकरण कोष में जमा हुए। जहाँ सचिव ने अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण एवं अनाधिकृत पेट्रोल/डीजल/सीएनजी स्टेशनों पर कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सील किए गए भवनों पर कोई निर्माण न हो और लंबित मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जबकि जोन-5 में लंबित मानचित्रों की अधिकता पर सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। इस बैठक में संबंधित जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं फील्ड सुपरवाइजर शामिल रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 24.09.2025

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने शिकायतों एवं प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिए की समीक्षा बैठक

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण के पांचों जोनों के जोनल अधिकारियों एवं अवर अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें आईजीआरएस, आरटीआई एवं सीएमएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा आईजीआरएस में प्राप्त खराब रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया की जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता स्वयं शिकायतकर्ताओं से मिलकर उनकी शिकायतें सुनें एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता की शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़कर तथ्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आरटीआई प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण से पूर्व संबंधित सभी प्रावधानों एवं धाराओं का गहन अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि केवल वही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो विधि अनुसार प्रदत्त की जा सकती हैं।बैठक के अंत में सचिव ने समस्त अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों एवं प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गंभीरता बनाए रखें, जिससे आम नागरिकों का विश्वास प्राधिकरण पर और मजबूत हो सके।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक में अधीनस्थों को निर्देश जारी करते हुए

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.09.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा शिकायतों एवं प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिए समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी। सचिव वाविप्रा डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण के पाँचों जोनों के जोनल अधिकारियों एवं अवर अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आई0 जी0आर0एस0, आर0टी0आई0 एवं सी0एम0 एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।सचिव द्वारा आई0जी0आर0एस0 में प्राप्त खराब रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि– जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता स्वयं शिकायतकर्ताओं से मिलकर उनकी शिकायतें सुनें एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता की शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़कर तथ्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आर0टी0आई0 प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण से पूर्व संबंधित सभी प्रावधानों एवं धाराओं का गहन अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि केवल वही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो विधि अनुसार प्रदत्त की जा सकती है।बैठक के अंत में सचिव महोदय ने समस्त अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों एवं प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गंभीरता बनाए रखें, जिससे आम नागरिकों का विश्वास प्राधिकरण पर और मजबूत हो सके।

न्यायाधीश–दि0 24.09.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा जोन-3, 4 एवं 5 के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी।वाविप्रा सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 (वार्ड - दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली), जोन-4 (वार्ड - भेलूपुर व नगवॉ) तथा जोन-5 (वार्ड - रामनगर व मुगलसराय) के साप्ताहिक कार्यों की प्रगति दिनांकः 01.09.2025 से दिनांकः 20.09.2025 तक की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में जोन-3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियंता श्री रविन्द्र प्रकाश, जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता श्री आदर्श निराला व श्री सोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी श्री श्रीप्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता श्री राजू कुमार, साथ ही मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक, अन्य लिपिक तथा तीनों जोनों के फील्ड सुपरवाइजर उपस्थित रहे।बैठक में सचिव द्वारा जमा एवं स्वीकृत शमन मानचित्र, तवान/शमन शुल्क की वसूली, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तथा अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई।सचिव महोदय ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी भवन सील किए गए है अथवा मुख्य मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माणों की रिपोर्ट जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता अपने-अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।सभी के मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सील तोड़कर किसी भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जाता है तो तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिसके उपरांत एफ0आई0आर0/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।